IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
जमाबंदी सुधार रिविजन वाद सं0--25/2013
नुनुलाल सिंह
बनाम
राज्य एवं शंकर सिंह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2		
	23.09.2016	आदेश यह पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता नुनुलाल सिंह पिता–स्व0 गिरिजा सिंह ग्राम–कटियारी थाना- सोनो जिला–जमुई के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–8 के तहत निम्न न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के विविध वाद सं0--11/11--12 नुनुलाल सिंह वगैरह बनाम हुरो महतो वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.9.13 के विरूद्ध लाया गया है और इस वाद का आधार उन्होंने मात्र यही दिया है कि निम्न न्यायालय का आदेश तथ्य एवं विधि के विरूद्ध है और काल्पनिक एवं बिना न्यायिक सिद्धातों का पालन किये पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पुनरीक्षण का कोई आधार नहीं दिया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया एवं इस वाद के उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुना। निम्न न्यायालय का आदेश विस्तृत है एव सभी संबंधित दावों का परीक्षण करते हुए उनके द्वारा मुखर आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मांगा जा रहा अनुतोष राजस्व न्यायालय के माध्यम से संभव नहीं है, साथ ही पुनरीक्षणकर्ता ने इस वाद में उन सभी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है जो निम्न न्यायालय मे पक्षकार थे। इस आधार पर भी यह वाद चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त के आलोक में पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं पुनरीक्षणकर्ता को आदेश दिया जाता है कि अपने अनुतोष हेतु सक्षम प्राधिकार व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद दायर करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें। लेखापित एवं संशोधित। (ह0) 23/9/16 समाहर्त्ता, जमुई। (ह0) 23/9/16 समाहर्त्ता, जमुई।	

872